SCHOOL GAMES FEDERATION OF INDIA

SGFI CONSTITUTION

स्मृति पत्र

1.संस्था का नाम	-	एस0जी0एफ0आई0सुसाइटी
2.संस्था का पता	-	परिसर राधा बल्लभ इ0का0शाहगंज, आगरा
3.संस्था के उद्देश्य	-	भारतवर्ष ।
4.संस्था के उद्देश्य	-	संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

1- सम्पूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों के सैकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत प्रतिभाशाली खिलाडियों को प्रोत्साहित करना।

2- समिति द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगितायें कराना तथा उनका कलेण्डर तैयार कर सभी यूनिटों को भेजना।

3- राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से चयन समिति द्वारा विभिन्न खेलों की स्कूली भारतीय टीम तैयार करना।

4- विभिन्न खेलों की चयनित भारतीय टीमों के कैम्प साई की सहायता से लगवाना।

5- स्कूली भारतीय टीमों को भारत सरकार की सहायता से एशियन एवं इण्टरनेशनल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराना।

6- एशियन एवं अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाडियों को समाज राज्य सरकारों एवं भारत सरकार की सहायता से सम्मानित एवं पुरस्कृत करना।

7- नवीन खेलों को प्रोत्साहित करना एवं राष्ट्रीय कलेण्डर में सम्मिलित करना।

8- ऐसे अन्य कार्य करना जो सुसाइटी के लिए हितकर हों या सुसाइटी के लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक अनुसांगिक या सहायक हों।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या. उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : एस0जी0एफ0आई0 सोसाइटी।
2. संस्था का पता : परिसर राधाबल्लभ इ0कॉ0 शाहगंज आगरा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : भारत वर्ष।
4. संस्था का उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार।
5. परिभाषायें:-

क-अध्यक्ष का तात्पर्य प्रबन्धकारिणी के अध्यक्ष से है
ख-प्रबन्धसमिति का तात्पर्य सोसाइटी की प्रबन्ध समिति से है।

6. संस्था की सदस्यता के प्रकार:-
सदस्यता निम्न तीन प्रकार की होगी
(क) संरक्षक सदस्य:-

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, खेल के क्षेत्र मे सरकार द्वारा पद्मश्री, भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आदि प्राप्त खिलाड़ी हो सकेगें ऐसे किसी भी सदस्य को बनाने के लिए साधारण सभा का दो तिहाई बहुमत आवश्यक है। संरक्षक सदस्यो की संख्या 03 से अधिक नही होगी, जिसमे एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। जो 11000/- रूपये सदस्यता शुल्क के रूप मे प्रदान करेंगे।

(ख) आजीवन सदस्य

ऐसे खिलाड़ी या खेल प्रेमी जो खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु कार्य करते है साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से समिति का आजीवन सदस्य बनाया जा सकता है, आजीवन सदस्यो की संख्या 05 से अधिक नही होगी। जिनमे दो महिला सदस्य होना आवश्यक है। जो 5000/-रूपये सदस्यता शुल्क के रूप मे प्रदान करेगें।

(ग) सामान्य सदस्य:-

सामान्य सदस्य सम्पूर्ण राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश, शिक्षा संगठन के0बी0एस0 एन0बी0एस0, सी0बी0एस0ई0, आई0जी0एस0ई, आई0बी0 से सम्बन्धित संगठन एंव अन्य खेल संगठन जो शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य कर रहे है उनको साधारण सभा की अमुमति खेलमान्त्रालय के आदेश से सम्बद्ध किया जा सकेगा।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

7. सदस्यता की समाप्तिः–

(1) संरक्षक एवं आजीवन सदस्यो की सदस्यता पागल हो जाने या मृत्यु हो जाने पर ही समाप्त होगी।
(2) सामान्य सदस्यो की सदस्यता यूनिट द्वारा नामित न किये जाने की दशा मे स्वतः ही समाप्त हो जावेगीं।

8. संस्था के अंगः–

(1) साधारण सभा
(2) प्रबन्धकारिणी समिति

9. साधारण सभा :–

1. गठनः–

समिति के सभी वर्गो को मिलाकर साधारण सभा होगी। जिसमे संरक्षक, आजीवन, तत्कालीन अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष एवं सामान्य सदस्य शामिल होंगे।

2. बैठकें :–

अ–समिति की आवश्यक बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होना आवश्यक है।
ब–अध्यक्ष की अनुमति से बैठक कभी भी बुलवाई जा सकती है।

3. सूचना अवधिः–

साधारण सभा की बैठकों के लिऐ कम से कम एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक है, सूचना साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/ई–मूल/फैक्स द्वारा कभी भी दी जा सकती है।

4. गणपूर्तिः–

साधारण सभा की बैठक के लिऐ गणपूर्ति संख्या कुल सदस्यो की दो तिहाई होना आवश्यक है। अन्यथा बैठक स्थगित कर दी जायेगी।

5. साधारण सभा के कर्तव्यः–

1– कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत आय–व्यय(वार्षिक की स्वीकृति प्रदान करना)।
2–साधारण सभा में से पदाधिकारियों का चयन करना।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या. उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

10. प्रबंधकारिणी समितिः–

1. गठनः–

प्रबन्धकारिणी समिति के गठन के लिए एक माह पूर्व साधारण सभा के सदस्यो को सूचित करना अनिवार्य है निर्वाचन अधिकारी की देख–रेख मे एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी अध्यक्ष, आठ उपाध्याक्ष, एक महासचिव, आठ संयुक्त सचिव, एक कोषाध्यक्ष एंव शेष 6 कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचन किया जायेगा। एक ही नामांकन आने की दशा मे निर्विरोध निर्वाचन मान लिया जायेगा। सी0ई0ओ0 कार्यकारिणी का पदेन सदस्य होगा।

संस्था की कार्यकारिणी समिति की संख्या साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है जो कम से कम 15 व अधिक से अधिक 35 होगी तथा आवश्यकतानुसार प्रबन्धसमिति के पदो मे भी परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. बैठकोः–

बर्ष में कम से कम 2 बैठके बुलाना आवश्यक है। बैठके बुलाने के लिऐ 15 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है।

3. गणपूर्तिः–

बैठको मे गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यो की दो तिहाई उपस्थिति आवश्य है।

4. रिक्त स्थान की पूर्तिः–

कार्यकारिणी के किसी पदाधिकारी का स्थान रिक्त होने पर महासचिव, शेष काल के लिए साधारण सभा मे से किसी भी सदस्य को अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से चयन कर सकेगा। महासचिव का स्थान रिक्त होने पर कार्यकारिणी समिति साधारण सभा मे से शेष कार्य काल के लिऐ चुनेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एंव अधिकारः–

समिति के कार्यो का संचालन, निरीक्षक नियन्त्रण एंव आर्थिक करेगी एंव सभी प्रकार के विवादों मे इसका निर्णय अन्तिम होगा।

समिति की सम्पत्ति का रख–रखाव एंव रक्षा करना और समय–समय पर ऐसे नियम उपनियमों की रख्ना करना तथा संविधान मे संशोधनो का प्रस्ताव करना एंव उन्हे साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षे०, आगरा

कार्यकालः— प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 05 वर्ष तक का होगा।

11. पदाधिकारियों के अधिकार एंव कर्तव्यः—

अध्यक्षः—

1. अध्यक्ष समिति का प्रधन अधिकारी होगा।
2. समिति के पदेन सदस्यों से विभिन्न सदस्यो का नाम निर्दिष्ट करना।
3. बैठको की अध्यक्षता करना, समान मत होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
4. वार्षिक व तिमाही बैठको के अलावा अन्य बैठको को बुलाने का पूर्वानुमोदन करना।
5. अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को लाने व निरस्त करने की सहमति प्रदान कर सकता है।

कार्यकारी अध्यक्षः—

1. अध्यक्ष के बाद सबसे बडा अधिकारी होगा।
2. संस्था के उद्देशों की पूर्ति हेतु मार्ग दर्शन करना।
3. संस्था की भॉति समितियों हेतु सदस्यो के नाम निर्दिष्ट करना।
4. अध्यक्ष के स्थान पर हस्ताक्षर करना।
5. वर्ष में बैठक की अध्यक्षता करना।
6. अध्यक्ष भॉति कार्यकारी अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में प्रस्ताव लाना।
7. कार्यकारी अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार होगा।

उपाध्यक्षः—

1. अध्यक्ष व कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थित मे उनके कार्यो को करना, सामान्य व विषम परिस्थितियों मे उनका सहयोग करना।

महासचिवः—

1. महासचिव समिति का प्रधन कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रबन्धसमिति के किसी सामान्य और विर्निदृष्टि निर्देश के अधीन रहते हुए ऐसी सभी शाक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कृत्यों और कर्तव्यो का पालन करेगा जो समिति के लक्ष्य और उद्देष्य की सफलता के लिये आवश्यक या वांछनीय है जिसके अन्तगर्त उसके द्वारा की गई विशेष योजना और उस पर व्यय करना भी है।
2. समिति के पूर्ववर्ती और पश्चार्तीपूर्वी अनुमोदन के अधीन रहते हुए महासचिव को समिति योजनाओ का निष्पादन करने तथा उनके लेखे रखना या लेखे परीक्षण करने के लिए अपेक्षित समिति के अधिकारियों और सेवको की सी0ई0ओ0 के

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

माध्यम से नियुक्ति करने और मजदूर रखने और उनकी मजदूरी भुगतान करने की भी शाक्ति होगी।

3. महासचिव किसी भी समिति के दिन प्रतिदिन के खर्च को पूरा करने के लिऐ 200000/–रूपये तक धनराशि अपने पास रख सकता है।
4. महासचिव भारत सरकार से संस्था की ग्राण्ट लेने एंव अन्य कार्यो के लिऐ उत्तरदायी है।
5. महासचिव सी0ई0ओ0 के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओ की व्यवस्था करेगा अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओ मे देश की टीमो की भेजने की संम्पूर्ण व्यवस्था भारत सरकार खेलमन्त्रालय/साई/कॉर्पोरेट एंव अपनी यूनिटो की सहायता से करेगा।
6. महासचिव/सी0ई0ओ0 के सहयोग से चयन समिति का निर्माण करेगा चयन प्रक्रिया के माध्यम से नेशनल व शिविरो से खिलाडियो का चयन करेगा/प्रशिक्षण शिविरो की व्ययवस्था करेगा।
7. साधारण सभा द्वारा अनुमोदित सभी कार्यो को सी0ई0ओ0 की सहायता से सम्पादित करेगा। अन्य वह सभी कार्य करेगे जो खिलाडियों के हित में होंगे।
8. महासचिव भारत सरकार लोक सभा, राज्य सभा संसद, राज्य सरकार, विधान सभा सदस्य,विधान परिषद् सदस्यों से अनुदान लेगा तथा बैको से ऋण लेने व भुगतान करने के लिऐ महासचिव उत्तरदायी होगा।
9. खेलों का विकास एंव खिलाडीयों के प्रोत्साहन हेतु प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी से मदद लेना तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनीज के सहयोग से खेलो को प्रोत्साहित करना।
10. खेलो के विकास एवं खिलाड़ियो को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न राज्य सरकार के विभागों, सेवा, अर्द्धसैनिक बलों व अन्य विभागों मे खिलाड़ियो की नौकरी के लिए प्रयास करना जिससे की खेल व खिलाड़ियो को प्रोत्साहन मिल सकें।
11. कक्षा 03 से 12 तक अध्यनरत छात्र/छात्राओं के लिए वर्ष भर विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओ की तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग कैम्पो का आयोजन करना तथा अर्न्तराष्ट्रीय टीमो के चयन के लिए ट्रायल आदि का आयोजन करना ट्रायल मे केवल वही छात्र/छात्राऐ भाग ले सकते है जो कक्षा 03 से 12 तक अध्यनरत है।

<u>सहायक सचिवः–</u>

1. सहायक सचिव सी0ई0ओ के अधीन रहकर कार्य करेगा तथा उसके कार्यो मे सहयोग करेगा।

<u>कोषाध्यक्षः–</u>

1. आय–व्यय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

18/7/18

2. महासचिव के साथ मिलकर वार्षिक बजट तैयार करना। अनुमोदन हेतु कार्यकारिणी के समक्ष पेश करना।
3. वैतनिक कर्मचारियों को समय पर वेतन सी0ई0ओ0 के माध्यम से उपलब्ध कराना।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सी0ई0ओ0):–

संस्था का अध्यक्ष, मुख कार्यकारी अधिकारी(सी0ई0ओ0) की नियुक्ति कर सकेगा। उक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी0ई0ओ0) के त्यागपत्र स्वीकृत होने अथवा साधारण सभा 2/3 बहुमत से पदच्युत किये जाने का प्रस्ताव पारित होने तक कार्य करेगा। ऐसा कोई प्रस्ताव नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष के अन्दर नहीं लाया जा सकेगर। जिससे सी0ई0ओ0 को हटाया जा सके।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वे सभी लाभ दिये जायेगे जो केन्द्र सरकार के प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी को देय है व समय–समय पर देय होंगे। सी0ई0ओ0 कार्यकारिणी पदेन सदस्य होगा तथा संस्था का मुख्य कार्य पालक अधिकारी होगा। वह संस्था के विभिन्न स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यकतानुसार करेगा तथा उनकी सेवा शर्ते व वेतन का निर्धारण महासचिव के परामर्श पर करेगा। पूरा कार्यालय सी0ई0ओ0 के नियन्त्रण में रहेगा। संस्था की ओर से अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष तथा महासचिव के परामर्श से अधिसूचना जारी करना, प्रबन्धकारिणी का निर्वाचन कराना तथा निर्वाचन अधिकारी को अपने हस्ताक्षर से नियुक्ति पत्र देना।

सी0ई0ओ0 भारत सरकार व अन्य संस्थाओं की बैठकों में संस्था की ओर से कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित व्यक्ति के साथ भाग लेगा। संस्था द्वारा बनाई गई समस्त समितियॉ सी0ई0ओ0 के अधीन होगी, आय–व्यय का लेखा–जोखा कार्यालय में रहेगा। जिस पर सी0ई0ओ0 का पूर्ण नियन्त्रण रहेगा। संस्था मे विवाद होने की स्थिति में समस्त पदों के अधिकारी सी0ई0ओ0 में निहित होंगे व सी0ई0ओ0 का वेतन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियो के बराबर होगा।

12. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:–

आवश्यकनुसार वर्तमान विधान में संशोधन साधारण सभा की वार्षिक बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जायेगा।

13. बैठको की प्रक्रिया:–

प्रबन्ध बैठक में उपस्थित सदस्यो के उपस्थिति के हस्ताक्षर लिए जायेगे तथा बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यो को बाद में प्रेषित किया जायेगा। कार्यवृत्त पर यदि कोई आपत्ति है वह उपस्थित सदस्य एक सप्ताह में कर सकेगा। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

14. संस्था का कोष व लेखा व्यवस्था:–

संस्थ का कोष राष्ट्रीय बैक में रखा जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष, महासचिव एंव कोषाध्यक्ष में से किन्दी दो के संयुक्त हस्ताक्षरो से किया जायेगा। आय–व्यय के रख रखाव एंव भारत सरकार से प्राप्त धन के उपयोग का पूरा उत्तरदायित्व

सत्य प्रतिलिपि

कोषाध्यक्ष एंव महासचिव का होगा। लेखा–जोखा सी0ई0ओ0 की देख–रेख में कार्यालय करेगा।

15. **संस्था का लेखा परीक्षक(आडिट):–**

संस्था के आय–व्यय का लेखा–जोखा सी0ई0ओ0 के परीक्षण उपरान्त कोषाध्यक्ष द्वारा वर्ष के अन्त में सी0ए0 द्वारा आडिट कराकर साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

16. **संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः–**संस्था द्वारा होने उनके विरूद्ध अदालती कार्यवाही समिति के महासचिव एंव सी0ई0ओ0 द्वारा की जावेगी।

17. **संस्था के अभिलेखः–**

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेण्डा रजिस्टर
4. कैशबुक बाऊचर रसीदे
5. गाइड फाइल
6. शुल्क एंव चंदा संकलन
7. स्टॉक रजिस्टर
8. विवरण रजिस्टर आदि।

18. **संस्था का विघटनः–**

समिति आय और सम्पत्ति दोनो जंगम और स्थावर और उसके कार्य कलाप का अधिक्षण नियंत्रण और प्रबन्ध समिति में निहित होगा। जो समिति के उद्देश्यो की कार्यन्वित करने के लिए भारत सरकार के आदेशों के अधीन सभी शाक्तियों का प्रयोम और सभी कर्तव्यों का पालन करेगी। संस्था के विघटन और विघटिज सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा–13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी।

दिनांकः–

सत्यप्रतिलिपि

Secretary General
School Games Federation of India

President
School Games Federation of India

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या. उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
18/7/10